

॥ निदेशालय पुलिस दूरसंचार (पुलिस मुख्यालय) राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक-न.5() वि.स. /कानि. भर्ती-2025 / 230

दिनांक- 09.01.2026

...आदेश...

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती, एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रसारित कॉन्स्टेबल भर्ती, 2025 हेतु प्रसारित विज्ञापित क्रमांक न-5(03), पु. फोर्स /कानि. भर्ती-25 /2024 /1361 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञापित संख्या 1376 दिनांक 15.04.2025 एवं 1536 दिनांक 26.04.2025 के द्वारा पुलिस दूरसंचार में कॉन्स्टेबल दूरसंचार ऑपरटर के 1378 एवं चालक के 91 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर दिनांक 13.09.2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया जाकर 7345 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की शारीरिक मापतौल /दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल /दक्षता परीक्षा करवाने एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार चयन सूची बनाये जाने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक न-5(17)पु.फो. /कानि.भर्ती-25 /2025 /5706 दिनांक 25.11.2025 द्वारा चयन बोर्ड का गठन किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक न-5(14)पु.फो. /कानि.भर्ती-25 /5492 दिनांक 15.11.2025 द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी स्टेडियम, जयपुर में शारीरिक मापतौल /दक्षता परीक्षा दिनांक 01.12.2025 से 08.12.2025 तक आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय के खेल कोर्ट की विज्ञापित संख्या 4457 दिनांक 04.09.2025 द्वारा 02 पद पुलिस दूरसंचार में खेल कोर्ट से आवंटित किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक न-5(18)पु.फो. /कानि.भर्ती-25 /2025 /6184 दिनांक 21.12.2025 के द्वारा चयन सूची का अनुमोदन किये जाने के उपरान्त चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों का निदेशालय के प्रेस नोट क्रमांक 1868 दिनांक 21.12.2025 द्वारा अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र सत्यापन, जन्मतिथि, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, विधवा एवं तलाक शुदा प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों की ऑनलाईन /ऑफलाईन सत्यापन रिपोर्ट किये जाने हेतु दिनांक 26.12.2025 से दिनांक 04.01.2026 तक प्रक्रिया अपनाई गई।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 192 दिनांक 05.01.2026 के द्वारा कुल 670 अभ्यर्थियों (636 कॉन्स्टेबल ऑपरटर तथा 34 कॉन्स्टेबल चालक), आदेश क्रमांक 208 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा कुल 454 अभ्यर्थियों (436 कॉन्स्टेबल ऑपरटर तथा 18 कॉन्स्टेबल चालक), आदेश क्रमांक 209 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा कुल 57 अभ्यर्थियों (47 कॉन्स्टेबल ऑपरटर तथा 10 कॉन्स्टेबल चालक) तथा आदेश क्रमांक 224 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा कुल 41 अभ्यर्थियों (36 कॉन्स्टेबल ऑपरटर तथा 05 कॉन्स्टेबल चालक) के नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं।

अतः निम्नांकित चयनित 16 कॉन्स्टेबल ऑपरटर तथा 04 कॉन्स्टेबल चालक अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण में योग्य पाये जाने, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, विधवा एवं तलाक शुदा प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र इत्यादि के

मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं होने पर राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एक-15(1)एफडी नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा पुनर्शिक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम-16 शेड्यूल-iv में नियत प्राधानानुसार इन्हे दो वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए कानिस्ट्रेबल पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षु पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियुक्ति के उपरांत 02 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/- रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा, तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कानिस्ट्रेबल पद की नियमित वेतन शृंखला L-5 (Pay matrix -Level 5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। इन्हे नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) की राशि राज्य सेवा में उपस्थिति/कार्यग्रहण की तिथि से देय होगी। परीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, महंगाई भत्ता यात्रा भत्ता शहरी क्षतिपूर्ण भत्ता व विशेष वेतन इत्यादि) देय नहीं होंगे तथा इस अवधि को सेवा अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा। इस अवधि में सामान्य प्रावधानी निधि एवं राज्य बीमा आदि की कटौती राज्य सरकार के नियमानुसार होगी।

यह नियुक्ति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अन्वयेन रहेगी।

कॉन्स्टेबल ऑपरटर की सूची

क्र.सं	चयन सूची क्रमांक	रोल नम्बर	नाम अस्थायी	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	लिंग	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पता
1	43	110037746	KISHANLAL MALI	GIRDHARILAL MALI	OBC NON CREAMY	MALE	14-Mar-1997	OBC M- 26	MALYON KA BAS BAP, BAP, Bab, JODHPUR, 342307
2	309	110040695	DUSHYANT SINGH RAJPUROHIT	SATYANARAYAN SINGH RAJPUROHIT	GENERAL EWS	MALE	28-Aug-2000	EWS M- 27	AATHUNA VAS, SARWARI PUROHITAN, BALOTARA, 344026
3	478	110035250	NOTI HARITWAL	HARPHOOL HARITWAL	OBC NON CREAMY	FEMALE	8-Jun-2003	GEN F-21	GOVATI, PALSANA, Dabaram Grn, SIKAR, 332402
4	686	110066027	MANISH	SHYAM LAL	OBC NON CREAMY	MALE	4-Jun-2002	GM-314	BOLO KI DHANIVA, VINAYAKPURA, Bawri, JODHPUR, 342037
5	730	110033334	SAVITRI KAPOORIVA	LALCHAND KAPOORIVA	OBC NON CREAMY	FEMALE	15-Mar-1992	OBC F- Divorcee-01	AGUNA MOHALLA, WARD NO 42 CHURU, Churu, CHURU, 331001
6	774	110044630	RAJNEESH MEENA	MUKESH MEENA	ST	MALE	30-Jun-2003	ST M-38	SOTOLI, SOTOLI, BONLI, Bonli, SAMAIMA, DHOOPUR, 322023
7	951	110056232	GANTRI SWAMI	MAHENDER KUMAR	OBC NON CREAMY	FEMALE	1-Jun-2003	GEN F-138	BHANGAT SINGH GETTHERMAL COLONY, Suragarh, SHRI GANGANAGAR, 335804
8	972	110046940	POOJA YADAV	BASTRAM YADAV	OBC NON CREAMY	FEMALE	15-Jun-2000	GEN F-144	JONAYICHA KHURD, NEEMRANA, KOTPUTLI, BEHOR, 301706
9	1006	110071168	RAKESH SAMRIVA	KALASH CHANDRA KHATIK	SC	MALE	22-Nov-2001	SC M-110	KHATIK MOHLA, ANTALI, Asind, BHILWARA, 311204
10	1041	110019519	AKASH KUMAR MEENA	RAMSWAROOP MEENA	ST	MALE	5-Jul-2001	ST M-108	VILL-SRINAGAR, POST-NEEMLA, JAMWA, RAMGARH, JAIPUR, 303507
11	1058	110056776	URMILA VISHNOI	JAI KISHAN VISHNOI	OBC NON CREAMY	FEMALE	17-May-2001	OBC F-36	DAWAL, CHITLWANA, Chitalkana, JALORE, 343027
12	1114	110057400	PRIVANKA KASANA	OM PRAKASH GURJAR	MBC NON CREAMY	FEMALE	15-Aug-2001	MBC F-03	VILLAGE- NARDA, POST - RAJPUK, TEHSIL - PATA, Neem Ka thana, SIKAR, 327178
13	1143	110018856	UMMILA FARRODA	RAMKISHOR	OBC NON CREAMY	FEMALE	2-Feb-2002	OBC F-76	NAVAPURA, CHHAPRI KHURD, Metra, MAGAUR, 341511
14	1238	110030798	PRADEEP SINGH	JAIWAL SINGH	OBC NON CREAMY	MALE	10-Feb-1985	OBC EX-MEN-04	RAMSAR, PACHERI BARU, JHUNJHUNU, 333515
15	1293	110036228	PALAK SALVI	CHAND MAL SALVI	SC	FEMALE	10-Jan-2004	SC F-32	41 INDRAPURAM COLONY PANVHWATI SENTHI CHITTORGARH, CHITTORGARH, 312001
16	1357	110067225	PRIVANKA MEENA	RAMJILAL MEENA	ST	FEMALE	18-Jul-1995	ST F- Divorcee 01	VILL- BILORA, POST- DEKWA, Sawainadhapur, SAMAIMA, DHOOPUR, 222001

कॉन्स्टेबल बालक की सूची

क्र.सं	व्ययन सूची क्रमांक	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम सर्वश्री	वर्ग	लिंग	जन्म तिथि	व्ययन वर्ग	पता
1	26	110003030	SHANKAR LAL NAGAR	HEMRAJ NAGAR	OBC NON CREAMY	MALE	05/04/2005	GM-13	VILLAGE NASIRDA, TEHSIL DEOLI, DISTRICT, TONK, 304507
2	35	110021583	PUKH RAM	LADOO RAM	OBC NON CREAMY	MALE	05/07/1999	GM-15	VIL-INBAS, POST-GOGELAW, NAGAR, NAGAR, 341001
3	71	110102408	MAG RAJ JAIPAL	DEVA RAM	SC	MALE	09/05/1995	SC M-12	MEGHMAL PRDA DEVASAR, Jaisalmer, Jaisalmer, 345031
4	82	110083154	POOJA	PUNAM CHAND	OBC NON CREAMY	FEMALE	21/01/2002	GEN F-04	VPO NOKHARA GODARA, NOKHARA BHATTWAN, Phalodi, JODHPUR, 342311

उपरोक्त अभ्यर्थियों की कॉन्स्टेबल दूरसंचार के पद पर नियुक्ति निर्मांकित शर्तों के अध्यायीन होगी:-

- कॉन्स्टेबल ऑफिसर/बालक पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वी कक्षा (भौतिक विज्ञान के साथ गणित अथवा कम्प्यूटर या समकक्ष) उत्तीर्ण है। जिन अभ्यर्थियों ने 12 वी कक्षा से उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, और जिनका सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका सत्यापन होने के पश्चात संबंधित की सेवापुरस्कारा में इन्दाज किया जायेगा।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी/नियत/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के शेड्यूल-1 अ (नियम-16) के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षाकाल के दौरान प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश, अवकाश लेख में जमा नहीं किया जायेगा।
- महिला कर्मचारियों का राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश देय होगा तथा पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 103 ए के तहत पितृत्व अवकाश देय होगा।
- दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात् स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी/नियम/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-5 (सेल-1) में नियमित वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे तथा नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-एफ 5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021 आदेश क्रमांक एफ-5(5)एफडी/इन्श्योरेन्स/2020 पार्ट-11 दिनांक 07.07.2021 दिनांक 07.09.2021 एवं 19.04.2022 में वर्णितानुसार आर.जी.एच.एस. योजना लागू होगी व नियमानुसार कटौतियां की जावेगी।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-12(3)एफडी/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
- राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ-13(3)एफडी रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 आदेश संख्या प-7(1)कार्मिक(क-2)/95/पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के प्राधानानुसार नियुक्ति के उपरान्त यदि किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात 02 से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं, तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जायेगा।
- विवाह में देहेज प्राप्त करने, 01 से अधिक पति/पत्नि रखने, अपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजों में विपरीत तथ्य तथा अन्य किसी प्रकार के नियम विरुद्ध तथ्य प्राप्त होने पर बिना नोटिस तत्काल प्रभाव से इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी को विवाहित होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र दहेज नहीं लिया / दिया का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कानि0 भर्ती-2025 हेतु जारी विज्ञापित संख्या 1376 दिनांक 15.04.2025 एवं संशोधित विज्ञापित संख्या 1536 दिनांक 26.04.2025 के बिन्दु संख्या में अंकितानुसार किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11. अभ्यर्थियों को 50 / -रुपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक बन्द पत्र कलेक्टर /सहायक कलेक्टर /प्रगना अधिकारी /तहसीलदार में से किसी एक से बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। बन्द पत्र के अनुसार पुलिस दूरसंचार में प्रशिक्षण अवधि समाप्त दिनांक से दो वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होगा। इस अवधि से पूर्व इस कार्यालय की बिना अनुमति अन्य नियोजन स्वीकार करने /त्यागपत्र देने /फरार होने /गैर हाजिर होने पर वारिस्ताविक प्रशिक्षण खर्च की राशि एवं प्राप्त किये गये वेतन भत्तों की राशि को राजकोष में जमा करवाना होगा। ड्यूटी से फरार होने पर बिना किसी नोटिस के राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
12. समस्त नव नियुक्ति अभ्यर्थी 1. दैनिक उपभोग की आवश्यक सामग्री, पहनने के कपड़े इत्यादि, 2. भैस एडवान्स राशि 4000 / - 3. कार्मिक कल्याण सदस्य शुल्क राशि-2600 / -(2500 रूपये जमा राशि व 100 रूपये सदस्यता शुल्क) 4. 10 पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो 5. बन्धपत्र, शपथ पत्र साथ लेकर दिनांक 09.01.2026 से दिनांक दिनांक 10.01.2026 तक कार्यालय संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार लाईन घाटगेट जयपुर में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे।
13. ड्यूटी जॉइनिंग के प्रयोजनार्थ इन्हें किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ई.ओ.बी क्रमांक:- 07

दिनांक:- 09.01.2026

(डॉ. हेमराज भीना)
पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
पुलिस दूरसंचार राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, साइबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
 2. समस्त पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
 3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।
 4. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।
 5. समस्त रेंज प्रभारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।
 6. समस्त जिला प्रभारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर।
 7. सहायक लेखाधिकारी पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
 8. प्रभारी प्रशिक्षण शाखा निदेशालय पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
 9. तकनीकी सहायक/अतिरिक्त निजि सचिव पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
 10. संचित निरीक्षक पुलिस दूरसंचार लाईन जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के पुलिस दूरसंचार लाईन जयपुर में उपस्थिति होते ही उनकी उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में बन्दपत्र, शपथ पत्र के साथ उनकी उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवाये तथा अभ्यर्थियों की आमद, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 11. एसआर क्लर्क/निजी पत्रावली वास्ते हेतु।
- 11 संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्तानुसार निर्देशों के अनुसार अपनी उपस्थिति दिनांक 09.01.2026 से दिनांक 10.01.2026 तक पुलिस दूरसंचार लाईन घाटोट जयपुर में देना सुनिश्चित करेंगे।

(**डॉ. हेमराज भीना**)
पुलिस अधीक्षक (प्रथम)
पुलिस दूरसंचार राजस्थान
जयपुर